


राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: एफ24 (NOC16-17) बीएड / आकाशि / 16 / 376
दिनांक 25.5.2017

आदेश:

निदेशानुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् हारा बीएड/बीपीएड वाद्यकल के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार हारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त शिक्षा-प्रति सभा महाविद्यालयी हेतु सत्र 2014-15 में राज्य सरकार हारा निर्धारित सीटों अध्या तात 2015-16 में राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद् 2014 के रेगुलेशन 2014 के अनुसार निर्धारित सीटों में से जो भी कम हो की प्राप्त मान्यता के अनुसरण में के रेगुलेशन 2014 के अनुसार निर्धारित सीटों में से जो भी कम हो की प्राप्त मान्यता के अनुसरण में सत्र 2017-18 के लिए संलग्न सूची अनुसार शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयी को केन्द्रीयकृत प्रदेश व्यावस्था के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देने हेतु निम्न शर्तोंनीकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं द्वारा जारी किया जाता है।

1. समस्त प्रदेश केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत यहाँ द्वारा नन्द सरकार द्वारा दिखायिदालय, अजमेर के माध्यम से बी.टी.ई.टी परिषद् में समिलित छात्रों ने से मेरिट के अधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
2. समस्त प्रदेश केन्द्रीयकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के माध्यम से बी.टी.एड कोर्स में प्रवेश प्रक्रिया विभाग हारा निर्धारित प्रक्रिया नियमों के अनुसार होगी।
3. राज्य सरकार हारा निर्धारित शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त फिरी भी प्रकार की राशि छात्रों से नहीं ली जायेगी। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिक्षावाल प्राप्त होती है तो सबप्रिय महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायगा।
4. महाविद्यालय को एनरीटीई एवं राज्य सरकार हारा निर्धारित सभी नवद डी की दृष्टि करना आवश्यक होगा।
5. महाविद्यालयों हारा उपर्युक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जायेगी।
6. राज्य सरकार के निदेशानुसार सभी निजी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय को सत्र 2017-18 के लिए निर्धारित शुल्क राशि 25,000 रुपये राजकोष के बी.एड. महाविद्यालय व यात्रि नद में जमा कराकर काउसलिंग से पूर्व नोडल एजेंसी में एक प्रति एवं एक प्रति आयुक्तालय व प्रस्तुत करना होगी।



प्रतिलिपि सूचनाई प्रेषित है—

1. विशिष्ट राजिय माननीय उच्च शिक्षा भवी राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी साधिय अतिरिक्त मुख्य राजिय उच्च शिक्षा (पुप-4) विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निजी साधिय आयुक्तालयी कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. निजी साधिय उपायुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
5. संयुक्त संघिय उच्च शिक्षा (पुप-4) विभाग राजस्थान जयपुर।
6. समन्वयक बी.टी.ई.टी. 2017 महाविद्यालयी विश्वविद्यालय अजमेर को प्रेषित है कि काउसलिंग से पूर्व राजकोष में जमा निर्धारित शुल्क राशि का ई-जालन स्थीर पाल करे।
7. समन्वयक बी.टी.एड. / एम.टी.एड. राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को प्रेषित है कि काउसलिंग से पूर्व राजकोष में जमा निर्धारित शुल्क राशि का ई-जालन स्थीर प्राप्त करे।
8. रजिस्ट्रार समस्त विश्वविद्यालय को भेजकर लेख है कि सभ्याओं का नम्बर एवं ईप्युट ही जारी करने का अनु कारे।
9. श्रीमी निदेशक एन.सी.टी.ई. जीवन शीमा भवन, अम्बेडकर स्कॉलर निहानी निहानी नद जयपुर।
10. परियोजना अधिकारी, राज्य सूचना (एनआईसी) राजस्थान समितिलय जयपुर।
11. निदेशक मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड नियम।
12. वेबसाईट प्रमाणी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वर्ताई वर अपलोड कराये।
13. साधिय प्राचारी, समस्त राजस्थान समितिलय महाविद्यालय।
14. गवित पत्रावली।

२५.५.२०१७
स. (कृष्ण निदेशक (निजी सम्बद्ध)
के नेत्र शिक्षा राजस्थान जयपुर